महत्वपूर्ण एवं खास

विजिबल पुलिसिंग : एसपी ने थाना प्रभारियों को विजिबल पुलिसिंग के जरिए अपराधों पर नियंत्रण रखने और कार्यवाई के दिए निर्देश

रायगढ़। प्रभारी पुलिस अधीक्षक रायगढ़ योगेश कुमार पटेल द्वारा जिले के सभी थाना, चौकी प्रभारियों को विजिबल पुलिसिंग को प्राथमिकता देते हुए प्रतिदिन संध्या गस्त पर अधिक से अधिक पुलिसबल के साथ मार्केट एरिया, भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर फुट पेट्रोलिंग कर संदिग्ध व्यक्तियों एवं नशे में वाहन चलाने वालों की जांच करने के निर्देश दिए गये हैं। उन्होंने थाना प्रभारियों को पेट्रोलिंग दौरान यातायात व्यवस्था बनाये रखने और जांच कार्रवाई से महिलाओं व वृद्धजनों को कोई परेशानी ना हो इसका विशेष ध्यान रखने कहा गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारियों को विजिबल पुलिसिंग के तहत औचक रूप से बदमाशों के जमावड़े स्थानों को भी चेक कर आपत्तिजनक अवस्था में पाये गये व्यक्तियों पर विधि अनुरूप कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है। निर्देशों के पालन में आज जिला मुख्यालय रायगढ़ एवं सभी तहसीलों में थाना प्रभारियों द्वारा मार्केट एरिया में सघन पेट्रोलिंग करते हुए प्रमुख चौंक-चौराहों पर संदिग्धों की जांच और ब्रीथ एनालाइजर मशीन से वाहन चालकों की जांच कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया है। विजिबल पुलिसिंग के तहत आगे भी नियमित रूप से कार्रवाई जारी रहेगी।

सड़क दुर्घटना में मृतक के नॉमिनी को पूरी प्रक्रिया के बाद मिलेंगे 25 हजार

सारंगढ़-बिलाईगढ़। अचानक किसी सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर राजस्व विभाग की ओर से मृतक के परिजनों को आर्थिक सहयोग के रूप में 25 हजार रूपए दिया जाता है। इसके लिए आवेदक को अपने से संबंधित तहसीलदार कार्यालय में आवेदन पत्र के साथ एफआईआर, मर्ग इंटीमेशन, मृत्यु प्रमाण पत्र, शव परीक्षण प्रतिवेदन (पीएम रिपोर्ट), दावा जांच पड़ताल प्रपत्र-III (खंड 21 (2) बी, अदायगी रसीद-प्रपत्र-II(खंड 20 (1), फार्म-5 (खंड 2यू) (1), अंतिम जांच प्रतिवेदन और नॉमिनी के बैंक खाता का विवरण जमा करना आवश्यक है। सड़क दुर्घटना के लिए सहायता राशि स्वीकृत होने पर मृतक के वारिसान, नॉमिनी के खाता में राशि ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा।

ब्लॉक समन्वयक एवं स्वास्थ्य ग्राम पंचायत समन्वयकों की हुई समीक्षा बैठक

रायगढ़। सीएमएचओ डॉ.बी.के.चंद्रवंशी के अध्यक्षता में आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के आरोग्यम् सभाकक्ष में ब्लॉक समन्वयक एवं स्वास्थ्य ग्राम पंचायत समन्वयकों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें विकासखंड अंतर्गत कार्यरत ब्लॉक समन्वयक एवं स्वास्थ्य पंचायत समन्वयकों को एजेण्डावार चर्चा की गई। इस दौरान जिला कार्यक्रम प्रबंधक रंजना पैंकरा व जिला समन्वयक वंदना गुप्ता उपस्थित रही। बैठक में फील्ड विजिट रिपोर्ट लेना एवं चर्चा करना, ए.टी.पी. में दूरस्थ क्षेत्र के कार्य योजना पर चर्चा, क्षतिपूर्ति पर समीक्षा, सिकल- सेल जाँच की स्थिति, किशोरी माताओं की बैठक की स्थिति पर चर्चा, खतरे वाली गर्भवती के यहां परिवार भ्रमण, मोबाईल वीडियो और ऑडियो के उपयोग की स्थिति, मितानिनों द्वारा किये जा रहे परिवार भ्रमण की फालोअप की स्थिति, कमजोर एमटी की पहचान कर उनको मजबूत बनाने की स्थिति एवं कार्ययोजना, सुरक्षित पेयजल एवं दस्त अभियान, मोबाईल एकेडमी, व्ही.एच.एन.सी की कार्ययोजना एवं खर्च बचत रजिस्टर पर चर्चा, 01 से 01 वर्ष के बच्चों की संख्या ब्लॉकवार, 1 से 5 वर्ष के बच्चों की संख्या, ब्लॉकवार, गर्भवती की संख्या हेडकाउंट अनुसार जानकारी, गर्भवती महिलाओ, किशोरियों को स्वयं की स्वच्छता के बारे में, अच्छे स्पर्श व बूरे स्पर्श के बारें में किशोरियों को मासिक बैठक के माध्यम से जानकारी देना सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश दिए गए।

लोकसभा निर्वाचन-2024 : 28 मई को कलेक्ट्रेट में होगी मतगणना की ट्रेनिंग

रायगढ़

भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 संपन्न कराया जा रहा है। जिसके तारतम्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा 28 मई 2024 को प्रात: 10 बजे से सृजन सभाकक्ष रायगढ़ में संसदीय क्षेत्र क्रमांक 02-रायगढ़ (अजजा) के रिटर्निंग ऑफिसर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, समस्त अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, प्रत्येक विधानसभा हेतु मास्टर ट्रेनर एवं जिले के टेबुलेशन प्रभारी अधिकारी, पोस्टल बैलेट नोडल अधिकारी, ईवीएम नोडल अधिकारी एवं सुरक्षा नोडल अधिकारियों की मतगणना के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ और जशपुर जिले के अधिकारी भी प्रशिक्षण में उपस्थित होंगें।

उक्त प्रशिक्षण में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर कार्यालय के रिसोर्स पर्सन श्रीकांत वर्मा एनएलएमटी, पुलक भट्टाचार्य एनएलएमटी, प्रकाश थवाईत सहायक प्रोग्रामर जांजगीर-चांपा तथा विभाष पाण्डेय सहायक प्रोग्रामर रायगढ़ द्वारा प्रदान किया जाएगा।

विधानसभा वार गणन अभिकर्ता नियुक्ति हेतु दिशा-निर्देश जारी

- गणन अभिकर्ता नियुक्त करने मतगणना के तीन दिवस पूर्व तक रिटर्निंग ऑफिसर को प्रारूप 18 में अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता कर सकते हैं आवेदन
- 4 जून को प्रात: 8 बजे से केआईटी में जिले की चारों विधानसभाओं की मतगणना होगी शुरू

रायगढ़

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत गणन अभिकर्ता की नियुक्ति के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए है। जारी निर्देश के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 47 एवं निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 52 के अनुसार गणन अभिकर्ता की नियुक्ति के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है।

गणन अभिकर्ता के नियुक्ति हेतु प्रारूप 18, अभ्यर्थियों अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को 2 प्रतियों में गणन अभिकर्ताओं की फोटो सहित मतगणना तिथि के 3 दिन पूर्व तक प्रस्तुत की जा सकेंगी। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ऐसे प्रत्येक गणन अभिकर्ता के लिए पहचान पत्र तैयार कर अभ्यर्थी को प्रदान किया जाएगा। मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना में भाग लेने के लिए आने के समय अपने नियुक्ति पत्र के साथ उन पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। गणन अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु प्रारूप-18, स्वयं अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा ही रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आयोग द्वारा जारी हेण्ड बुक में उल्लेखित पदाधिकारी एवं सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों से भिन्न व्यक्ति ही गणन अभिकर्ता के लिए पात्र होंगे। यदि गणन अभिकर्ता की नियुक्ति प्रारूप-19 में निरस्त करना हो तो भी यह आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किए जायेंगे और इनके स्थानापन्न की नियुक्ति हैण्ड बुक फॉर काउंटिंग एजेन्ट-2023 की कंडिका 3.5.2 के अनुसार की जाएगी।

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 02-रायगढ़ (अजजा) अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15-लैलूंगा, 16-रायगढ़, 18-खरसिया एवं 19-धरमजयगढ़ की मतगणना केआईटी महाविद्यालय गढ़उमरिया रायगढ़ में 4 जून को प्रात: 8 बजे से की जाएगी। उक्त चारों विधानसभा क्षेत्रों के गणन अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु प्रारूप-18 को 2 प्रतियों में गणना अभिकर्ता के फोटो सहित गणना के 3 दिन पूर्व तक स्वयं अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ताओं द्वारा न्यायालय कलेक्टर, रायगढ़ कक्ष क्रमांक 2 में फोटो सहित प्रस्तुत करना होगा।

मतगणना सेंटर में मोबाइल फोन, आई पेड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण, बीडी, सिगरेट, गुटका ले जाना प्रतिबंधित

रायगढ़। लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए मतगणना सेंटर में आवश्यक व्यवस्था किए जाने के निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए है। जिसमें मतगणना सेंटर के भीतर मतगणना के परिणाम का योग करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता को एक-एक एनालॉग केलकुलेटर प्रदाय किया जाएगा। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना सेंटर के भीतर पासधारी अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं, मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना सेंटर पर जिन सामग्रियों को ले जाने की अनुमति होंगी, इनमें कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17 सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किए गए ईवीएम एवं वीवीपेट की सूची जो विधानसभा के विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग में लायी गई है, प्लास्टिक पेन/पेसिंल, मतगणना परिसर के बाहरी गेट पर खानपान की व्यवस्था हेतु नियुक्त व्यवस्थापक द्वारा भोजन पैकेट उपलब्ध कराया जाएगा। जिसे मतगणना सेंटर के भीतर नियुक्त मतगणना अभिकर्ता द्वारा प्राप्त कर अन्य मतगणना अभिकर्ताओं को प्रदाय किया जाएगा। मतगणना सेंटर में मोबाइल फोन, आई पेड, लैपटॉप, स्मार्ट वाच, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण, बीडी, सिगरेट, गुटका ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।

सेवांजली ने सीनियर सिटिजन का सम्मान कर मनाया मदर्स डे

- सेवांजली सदस्यों ने सीनियर सिटिजन को हमेशा प्यार, सम्मान देने और उनकी मदद और सेवा का संकल्प भी लिया

रायगढ़

सेवा में अग्रणी संस्था लीनेस क्लब सेवांजली ने इस बार अनोखे अंदाज में मदर्स डे मनाया। सभी सेवांजली सदस्य एकजुट होकर सेवांजली के सभी सीनियर सिटीजन का बुके और गिफ्ट से स्वागत और सम्मानित किया और सभी ने उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया l उपस्थित सभी लीनेस ने संरक्षक ली सुषमा श्रीवास्तव जी का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया और उन्हें जन्मदिन की बधाई के साथ साथ उनके स्वस्थ, मंगलमय जीवन की शुभकामना की। एरिया एडवाइजर ली सुमिता पांडेय जी ने सभी को टीआरा पहना कर मातृत्व दिवस की शुभकामनाए दी। सभी सेवांजली सदस्यों ने सीनियर सिटिजन को हमेशा प्यार, सम्मान देने और उनकी मदद और सेवा का संकल्प भी लिया। मदर्स डे के इस अवसर पर काव्य गोष्ठी के साथ - साथ खूब सारे गेम्स खेले गए। लीनेस प्रोफेसर मंजरी गुरु जी के द्वारा सभी को पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया l आज के इस कार्यक्रम में ली रजनी मिश्रा, ली सुधा मिश्रा, ली राजेश्वरी शुक्ला, ली ममता चौहान, ली कावेरी शुक्ला, ली प्रिया पांडे, ली रूपांजली देशमुख, ली बबली कुलवेदी, ली तनु शर्मा, ली सरोजिनी कुर्रे , ली लता बघेल, ली निशत अली शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाया।

युवक ने फेक आईडी से महिला मित्र को बदनाम करने की धमकी देकर मांगे रुपए

- पीड़ित की शिकायत पर तमनार पुलिस ने आरोपी को उद्यापन और आईटी एक्ट के अपराध में गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

रायगढ़

थाना तमनार क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले युवती द्वारा उसके मित्र देवनारायण नायक उसे मोबाइल पर कॉल कर सोशल मीडिया पर चरित्रहीन साबित करने की धमकी देकर रुपयों की मांग करने की लिखित शिकायत थाने में की गई थी। पीड़ित युवती 28 मार्च को थाना तमनार में आरोपित देवनारायण नायक के विरुद्ध कार्रवाई के लिए लिखित आवेदन देकर बताई कि देवनारायण के साथ पढ़ी है इसलिए उसे जानती पहचानती है। देवनारायण नायक इसकी जानकारी के बगैर इसके फोटो और नाम का उपयोग कर इंस्टाग्राम पर एक आईडी बनाया जिसमें उसने कई आपत्तिजनक फोटो वीडियो अपलोड किये और इसी आईडी से उसने कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और युवती के जान पहचानन वालों को अनाप-शनाप मैसेज करने लगा। इसी बीच 3 मार्च की सुबह देवनारायण नायक द्वारा युवती को कॉल कर धमकी दिया कि रु.50,000 देना पड़ेगा नहीं तो सोशल मीडिया पर तुम्हें चरित्रहीन साबित कर तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। युवती ऐसा ना करने की विनती की उसके बाद भी देवनारायण द्वारा युवती के जान पहचान वालों को फेक आईडी से संपर्क कर रहा था। पीड़ित युवती द्वारा 28 मार्च को देवनारायण पर कार्यवाही के लिए लिखित शिकायत प्रस्तुत की जिस पर थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर द्वारा अपराध क्रमांक 103/2024 धारा 384 आईपीसी 66(ग), 67 आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर आरोपी की पतासाजी, गिरफ्तारी के लिए दबिश दिया गया। आरोपी युवक गिरफ्तारी के भय से गांव से फरार था। कल रात आरोपी को उसके गांव में देखे जाने की सूचना पर तमनार पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया गया जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है। आरोपी युवक द्वारा युवती को भेजे गये मैसेज का स्क्रीन शॉट व आरोपी का मोबाइल वजह सबूत जप्त किया गया तथा आरोपी के परिजनों को उसकी गिरफ्तारी की सूचना देकर अपराध में गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी आकाश मरकाम व डीएसपी अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी की कार्यवाही में थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर, सहायक उप निरीक्षक नरसिंह नाथ यादव, प्रधान आरक्षक अनूप कुजूर, आरक्षक पुष्पेंद्र सिदार की विशेष भूमिका रही है।

गर्मियों में जल आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता, पेयजल की निर्बाध आपूर्ति करें सुनिश्चित -कलेक्टर

- कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने पीएचई विभाग की बैठक लेकर जलापूर्ति को लेकर दिए दिशा-निर्देश

रायगढ़

गर्मियों में लोगों को निर्बाध रूप से जलापूर्ति मिलनी चाहिए। यह सर्वोच्च प्राथमिकता का काम है। जहां नल कनेक्शन का जाल बिछ चुका है, वहां पानी की सप्लाई अनिवार्य रूप से होना चाहिए। उक्त निर्देश कलेक्टर कार्तिकेया गोयल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को दिए। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के साथ सभी एसडीएम, सीईओ जनपद की एक महत्वपूर्ण बैठक ली।

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने विकासखंड वार सिंगल विलेज, रेट्रोफिटिंग, सोलर और सोलर रेट्रोफिटिंग, नल कनेक्शन वितरण और जल आपूर्ति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि नल कनेक्शन वितरण की सार्थकता तभी है, जब उसमें जलापूर्ति हो रही हो। उन्होंने सभी एसडीएम और सीईओ जनपद को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे सारे गांव जहां नल वितरण का काम पूरा किया जा चुका है, वहां पानी सप्लाई का भौतिक सत्यापन अगले 4 से 5 दिनों में पूरा कर रिपोर्ट दें। उन्होंने साथ ही कहा कि जहां नल कनेक्शन बिछ गए हैं लेकिन पानी टंकी का काम अधूरा है, वहां विभागीय निर्देश अनुसार ठेकेदार को बोर पम्प से नलों में पानी का सप्लाई देना है। भौतिक सत्यापन के दौरान यह व्यवस्था भी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश उन्होंने सभी अधिकारियों को दिए। कलेक्टर गोयल ने सभी एसडीएम को रोजाना इस काम की समीक्षा अपने स्तर पर करने के निर्देश भी दिए।

कलेक्टर गोयल ने अधूरे प्रोजेक्ट्स को समय-सीमा के अनुसार पूरा करते चलने के निर्देश विशेष रूप से दिए। पानी सप्लाई के सोर्स तक बिजली आपूर्ति के चलते जहां का काम रुका है, उसको लेकर कलेक्टर गोयल ने बिजली विभाग के अधिकारियों को अगले 3 से 4 दिन में सारा काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ईई पीएचई को बिजली विभाग से समन्वय कर सभी डिमांड नोट्स का भुगतान करने के लिए कहा। उन्होंने समूह जल प्रदाय प्रोजेक्ट्स को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो काम आचार संहिता से पहले स्वीकृत सभी कार्य गर्मी के मौसम में पूरी गति से होने चाहिए। जो ठेकेदार काम में ढिलाई कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करें।

बैठक में ईई पीएचई परीक्षित चौधरी, एसडीएम धरमजयगढ़ डिगेश पटेल, एसडीएम खरसिया डॉ प्रियंका वर्मा, एसडीएम रायगढ़ प्रवीण तिवारी, एसडीएम घरघोड़ा रमेश मोर, एसडीएम लैलूंगा अक्षा गुप्ता, एडिशनल सीईओ जिला पंचायत एन.आर.पटेल सहित सभी सीईओ जनपद और एसडीओ पीएचई सहित क्रेडा और बिजली विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने तालाबों के गहरीकरण के लिए तैयार करें कार्ययोजना

कलेक्टर गोयल ने ग्राउंड वाटर रिचार्ज के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि मानसून आने के पहले ऐसे तालाबों को चिन्हांकित कर लें, जहां गहरीकरण किया जाना है। उन्होंने ग्रामीण के साथ शहरी तालाबों को भी चिन्हित करने के लिए कहा। साथ ही सभी एसडीएम को शहरी क्षेत्रों में तालाबों के गहरीकरण और गाद सफाई के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में तैयारी पूरी कर लें जिससे मानसून के पानी का उपयोग ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए किया जा सकेगा। इसके अलावा उन्होंने शहरी क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी निर्माणाधीन भवनों में सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाइड्रोफैक्चरिंग की मदद से भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए काम किया जाएगा। इसके लिए ईई पीएचई को कार्ययोजना बनाने के निर्देश उन्होंने दिए।

गुणवत्ता युक्त खाद, बीज एवं कीटनाशी उपलब्धता हेतु जिला स्तरीय निगरानी दल गठित

रायगढ़

आगामी खरीफ एवं रबी 2024-25 को ध्यान में रखते हुए जिले के कृषकों के लिए सुगमता एवं सही दर पर गुणवत्ता युक्त खाद, बीज एवं कीटनाशी उपलब्धता हेतु जिला स्तरीय निगरानी दल का गठन किया गया है। निगरानी दल जिले के खाद, बीज एवं कीटनाशी विक्रय संस्थान का सतत निरीक्षण करते हुए सही दर पर गुणवत्तायुक्त खाद बीज एवं कीटनाशी की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

उप संचालक कृषि ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला स्तरीय निगरानी दल में सहायक संचालक कृषि हिन्द कुमार भगत मोबा.नं.98264-47134 को धरमजयगढ़ अनुभाग का नोडल अधिकारी तथा सहायक संचालक कृषि सुभाष कुमार सोनी मोबा.नं.75870-49493 को रायगढ़ अनुभाग का नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसी तरह कृषि विकास अधिकारी नृपराज डनसेना मोबा.नं.94255-21249 तथा कृषि विकास अधिकारी उसतराम पटेल मोबा.नं.70009-49184 को सहायक नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संजय सिदार मोबा.नं.83192-04004 को शाखा प्रभारी, सहायक ग्रेड-3 विजय कुमार बनवासी मोबा.नं.79873-83400 को कम्प्यूटर कार्य तथा संदीप टंडन मोबा.नं.75662-22016 को वाहन चालक का कार्य सौंपा गया है।

छाल परिक्षेत्र के बोजिया परिसर में हुये जनहानि घटना में मृतिका के पुत्र को दिया गया 25 हजार रुपए की तात्कालिक सहायता

- वन्यप्राणी विचरण क्षेत्रों में तेन्दूपत्ता तोड़ाई या अन्य किसी भी कार्य के प्रयोजन के लिये किया गया है प्रतिबंधित

रायगढ़

वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़, वनमंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि वन परिक्षेत्र अधिकारी छाल के सूचनानुसार 15 मई को प्रात: 8.00 बजे लगभग परिसर रक्षक बोजिया फिलमोन तिर्की वनपाल को दिलीप भगत वल्द जेलसिंह भगत साकिन छाल के द्वारा फोन के माध्यम से सूचना दिया गया कि परिसर बोजिया कक्ष क्रमांक 505 पी.एफ. में इंदरमोती पति स्व.होरीलाल अगरिया उम्र लगभग 70 वर्ष साकिन छाल तह-थाना छाल जिला रायगढ़ के द्वारा तेन्दूपत्ता तोडऩे के लिए जंगल की ओर गई थी। तेन्दूपत्ता तोडऩे के दौरान वन्य प्राणी जंगली भालू से अचानक आमना-सामना होने पर भालू द्वारा हमला कर दिया गया जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। सूचना प्राप्त होते ही उप वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ एवं वन परिक्षेत्राधिकारी छाल अपने अधीनस्थ वन अमलो के साथ मौका स्थल पर पहुंचे और मौका जांच किया गया। मौका स्थल पर जंगली भालू के पैरों के निशान पाया गया, मौका साक्ष्य में जंगली भालू द्वारा घटना होना पाया गया। शासन के नियमानुसार मृतक के उत्तराधिकारी पुत्र श्याम कुमार अगरिया साकिन छाल तह-छाल जिला रायगढ़ को तत्कालिक राशि 25000 रुपये प्रदान किया गया। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

धरमजयगढ़ वनमंडल के छाल परिक्षेत्र अंतर्गत हाथी प्रभावित क्षेत्र एवं अन्य वन्य प्राणी होने एवं जंगल में प्रतिदिन हाथियों के विचरण होने के कारण कर्मचारियों एवं हाथी मित्र दल द्वारा प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। सम्पूर्ण वनमंडल में हाथी, भालू एवं अन्य वन्यप्राणी विचरण क्षेत्रों में तेन्दूपत्ता तोड़ाई या अन्य किसी भी कार्य के प्रयोजन लिये प्रतिबंधित किया गया है तथा समूचे छाल क्षेत्र के वन अमले को हाई अलर्ट पर रहने हेतु निर्देशित किया गया है।

जिले के सभी स्कूलों में होगा समर केम्प का आयोजन : स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया पत्र

- कलेक्टर गोयल ने आयोजन हेतु जारी किया आदेश

रायगढ़

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ग्रीष्मावकाश अवकाश में सभी स्कूलों में समर कैम्प आयोजित किये जाने के निर्देश दिए गये हैं। वर्तमान में 15 जून तक विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश रहेगा। इस दौरान बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न कर बहुमुखी विकास के लिए रचनात्मक गतिविधियां अपने स्कूल, संकुल स्तर या गांव/शहर के सामुदायिक स्थलों पर आयोजित किया जाना है।

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के द्वारा 15 मई 2024 को जारी आदेशानुसार जिले के सभी स्कूलों में समर कैम्प को आयोजित कराने की सम्पूर्ण जवाबदेही संकुल प्राचार्य एवं संबंधित सीएसी की होगी, समर कैम्प के दौरान स्थानीय कला क्षेत्र/रचनात्मक क्षेत्र में विशेष जानकर लोगों को आमंत्रित कर उनकी देख रेख में आयोजित की जानी है, साथ ही पूरे समर कैम्प में स्कूल के शिक्षक, पालक एवं शाला प्रबन्ध समिति के सदस्यों का भी सहयोग लिया जाना है। समर कैम्प के दौरान बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों जैसे चित्रकारी, गायन, वादन, निबंध लेखन, गणित से जुड़ी मनोरंजक गतिविधियां, कहानी लेखन, हस्तलिपि लेखन (हिंदी एवं अंग्रेजी) कर्सिव राइटिंग, नृत्य, इनडोर गेम जैसे चेस, चेनिस चक्कर, कैरम, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, मिट्टी के खिलौने बनाना, कागज से फूल बनाना, योगा, प्राणायाम, पेंटिंग, रंगोली, मेहंदी, अपने गांव/शहर के ऐतिहासिक स्थलों से परिचय जैसे गतिविधियों के साथ-साथ अपने स्तर पर रचनात्मक गतिविधियों का चयन कर आयोजन किया जाएगा।

समर कैम्प तीन स्तर कक्षा 03 से 05 प्राथमिक स्तर, कक्षा 06 से 08 माध्यमिक एवं कक्षा 09 से 10 हाई स्कूल स्तर में शाला विकास समिति एवं पालक शिक्षक समिति के सहमति से आयोजित किये जायेंगे। कैम्प का आयोजन प्रात: 7 से 9.30 बजे तक आयोजित किये जायेंगे, कैम्प के दौरान साफ पानी, ओआरएस पैकेट या विकल्प कोई भी अन्य सामग्री रखने एवं बच्चों को बार-बार पानी पिलाने के निर्देश दिये गये है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480